~~4.6.18~~ पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय आपके
11.6.18 द्वार 2018 के खेड़ा में पेश हुई। प्रतिवादी
सं. 1 स्वंय मय वकील उप०। प्रतिवादी सं. 1 के
जवाब पेश किया जो पत्रावली शामिल किया
गया। वकील वादी उप०। वकील उभय
पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी एवं
प्रतिवादी सं. 1 से 3 पूर्वज अमराराम की
पुश्तैनी भूमि है। जिसमें वादी का हक हिस्सा
बनता है। अतः वादी को हक हिस्सा दिया
जावे। प्रतिवादी वकील का बहस में कथन
था कि वादग्रस्त खसरा संख्या 657/166
रकबा 19.00 बीघा तथा खसरा सं. 656/166 रकबा
50.12 बीघा भूमि पैतृक सहदायिकी
सम्पत्ति न होकर प्रतिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड
बैचान नामा द्वारा खरीदी गई है। स्वंय द्वारा
अर्जित भूमि में वादी कानूनन कोई हक
हिस्सा नहीं मांग सकता। इस वाद को
खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अध्ययन
व अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश
रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज का अध्ययन
व अवलोकन करने से स्पष्ट होता है
कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 से
3 द्वारा स्वंय की आय से क्रय की गई
है। स्वंय द्वारा अर्जित भूमि में पिता की
की भूमि में पुत्र का कोई हक हिस्सा
नहीं बनता है। अतः वादी का वाद
सारहीन तथ्यों पर आधारित होने
तथा चलने योग्य न होने के कारण
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

[signature] Adv.
नि. अं. पनाराम
चोलाराम

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन